न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–156/2011
CIS NO. TS-659/2018

कन्हैया पाण्डेय एवं अन्य...वादीगण

बनाम

डा0 रूखसना आजम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
21.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी सं0–01 कन्हैया पाण्डेय के द्वारा आवेदन दिनांक 19.07.2023 के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.07.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आवेदन धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–02 विक्रमा पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 13.02.2021 को हो चुकी है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नी शांति कुँअर तथा दो पुत्र संदीप कुमार पाण्डेय एवं अनिकेत कुमार पाण्डेय तथा एक पुत्री अर्चना पाण्डेय को छोडकर मरे है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वादीगण को वाद में प्रतिस्थापन की कार्यवाही व समय सीमा की बाध्यता की जानकारी एवं कानूनी समझ नही थी। जिस कारण प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से वादीगण के आवेदन पर अनापत्ति दर्ज की गयी है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। चूँकि वादीगण द्वारा आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 19.07.2023 को मो0–800/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर मृतक के	

न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–156/2011
CIS NO. TS-659/2018

कन्हैया पाण्डेय एवं अन्य...वादीगण

बनाम

डा0 रूखसना आजम एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **21.08.2023**	विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। दिनांक 05.09.2023 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	